कुरमानचल इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा व अन्य।

बनाम

चांसेलर, एम. जे. पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय व अन्य।

17 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

धारा 5, 42, 51 व 52, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973: एक विश्वविद्यालय ने जिले की क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर संस्थान/अध्ययन केंद्र में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकार केवल सात जिलों तक सीमित है, नैनीताल जिला उनमें से नहीं है- इसलिए यह विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है- चूंकि नैनीताल जिला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, इसलिए अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अपीलार्थी संख्या 1, कुरमांचल इंस्टीटयूट आफ डिग्री एण्ड डिप्लोमा, नैनीताल, उत्तरांचल में एक अध्ययन केंद्र है। इसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है जो उत्तर प्रदेश राज्य

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4 (1-ए) के तहत जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 1975 में गठित हुआ। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ने 'दूरस्थ शिक्षा' प्रारम्भ करने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को चलाने की मंजूरी दी है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में डिग्री पाठ्यक्रम शामिल नहीं था, इसलिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने राज्य सरकार से दूरस्थ शिक्षा माध्यम के तहत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। नया पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को कुलाधिपति द्वारा अस्वीकार किया। अपीलार्थियों द्वारा उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपीलें प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थी-संस्थान और अन्य ने तर्क दिया कि चूंकि वे पहले की रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उसमें दिया गया निर्णय उन पर बाध्यकारी नहीं था; चूंकि वे कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, इसलिए वे यह तर्क नहीं दे सकते थे कि अध्यादेश बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे; और पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने पर जहां छात्रों को

प्रवेश दिया जा चुका है अगर छात्रों को अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें बहुत परेशानी होगी।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसे अध्ययन केंद्र कानूनी रूप से नहीं हो सकते है। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर खोलने की अनुमति और यह कि इस तरह के अध्ययन केंद्रों के उपयोग के वित्तीय पहलू हैं, एक पूर्व अनुमोदन अधिनियम की धारा 52 (3) (ग) के संदर्भ में राज्य के पाठ्यक्रम को भी लिया जाना आवश्यक था; कि किसी भी स्थिति में इस न्यायालय को इस मामले पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में केवल 150 छात्रों ने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम का विकल्प चुना है और वे केवल पहले सेमेस्टर में हैं; कि एक ओर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और दूसरी ओर डिग्री पाठ्यक्रम के बीच अंतर मौजूद है और वह; हालांकि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है, डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया किः-

1.1. यद्यपि विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् द्वारा अध्यादेश बनाने के लिए विधिक आवश्यकताओ को पूरा किया जिसके अनुसरण में नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये। हालांकि, यह तर्क कि ऐसे अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की सीमा से परे संचालित करने की

अनुमति दी जानी चाहिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधानित करती है। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम में संलग्न अनुसूची के संदर्भ में, विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल सात जिलों तक सीमित है, नैनीताल उनमें से एक नहीं है। [पैरा 17] [198-जी, एच; 199-ए]

1.2. यह कहना एक बात है कि विश्वविद्यालय डिग्री ओर डिप्लोमा को प्रदान करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के जर्ये करता है लेकिन इस बात का कहना अलग होगा कि उन अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए विश्वविद्यालय को कठोर पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता होती है। अध्ययन केंद्रो में, शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, व्यावहारिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो एक पूर्ण संस्थान या कॉलेज चलाने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह के एक संस्थान, हालांकि इनको अध्ययन केंद्रो के रूप में नामित किया गया है और इस तथ्य के बावजूद कि अध्ययन के पाठ्यक्रम और अन्य सभी अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नैनीताल, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। वास्तव में यह

यू. पी. राज्य में स्थित ही नहीं है और इस प्रकार, यह अधिनियम के प्रावधानों से परे है। [पैरा 18] [199-सी, डी]

2.1. यू. जी. सी. विनियमों को एक अधीनस्थ कानून होने के कारण मुख्य अधिनियम के साथ पढा जाना चाहिए। यदि अधिनस्थ कानून मुख्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह मूल अधिनियम से अधिकारातीत हो जायेगा। [पैरा 19] [199-ई]

वासु देव सिंह और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 11 SCALE 108, आश्रित किया गया।

2.2. यह सर्वविदित है कि एक सांविधिक प्राधिकारी को विधी की सीमा के अधीन रहकर ही कार्य का संचालन करना चाहिए। निश्चयपूर्वक इसे सीमाओं के भीतर रहकर काम करना चाहिए जिसके लिए उन्हें कानून के तहत अनुमति मिली हुई है। विश्वविद्यालय के इस तरह के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। [पैरा 19] [199-एफ]

2.3. हालांकि कुछ स्थितियों के संबंध में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उक्त मामले में न्यायालय को पूरी तरह से अलग स्थिति देखनी थी। [पैरा 20] [199-जी; 200-ए]

सुशांत टैगोर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, [2005] 3 एससीसी 16, आश्रित किया गया।

2.4. नैनीताल में स्थित अपीलार्थियों के अध्ययन केंद्र प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से परे है। रिट याचिका में अनुरोध किया गया रिट मैंडमस या एसी प्रकृति का कोई भी रिट जारी नहीं की जा सकती है। [पैरा 22] [200-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2698/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध रिट याचिका संख्या 75902/2005 के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 20-12-2005 से उत्पन्न

के साथ

सिविल अपील संख्या 2699/2007

सुनीता अग्रवाल, मालविका त्रिवेदी, मलिका चौधरी, शैलेंद्र स्वरूप; अपीलार्थियों की ओर से।

रवि प्रकाश मेहरोत्रा, दीप्ति आर. मेहरोत्रा, गर्वेश काबरा, अमितेश, गोपाल सिंह, शेखर कुमार; प्रत्यर्थी की ओर से।

यह निर्णय माननीय न्यायिपति श्री एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. कुरमांचल डिग्री और डिप्लोमा संस्थान एक अध्ययन केंद्र है। इसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") से मान्यता प्राप्त। इसका गठन वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4 (1-ए) के तहत एक अधिसूचना जारी करके किया गया था (संक्षेप में "अधिनियम") हालांकि, राज्य ने अभी तक विश्वविद्यालय के लिए पहला अध्यादेश नहीं बनाया है।

3. अधिनियम की धारा 5 क्षेत्रीय शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है जिसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अनुसूची में उसके विरुद्ध निर्दिष्ट किए गए समय के लिए क्षेत्र के संबंध में हो सकती है। विश्वविद्यालय को अधिनियम में संलग्न अनुसूची की प्रविष्टि 7 के संदर्भ में बदायूं, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और शाहजहांपुर जिलों की सीमाओं के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है।

4. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का गठन अधिनियम की धारा 51 के अनुसार किया गया। अध्यादेश बनाने की शक्ति अधिनियम की धारा 51, धारा 51 (2) (ए), (बी) और (एच) में निहित है, जो निम्नलिखित हैः-

> **"(2) उप के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा (1), अध्यादेश निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान करेगाः**
>
> **(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन और इस तरह की निरंतरता;**
>
> **(ख) सभी डिग्री, डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ;**
>
> ***** *** *****
>
> **(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों और निजी उम्मीदवार से संबंधित सभी मामले;"**

5. अधिनियम की धारा 52 अध्यादेश बनाने की शैली प्रावधानित की गई है। अधिनियम की धारा 52 (2) और 52 (2-ए) निम्नानुसार हैः-

"(2) कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों का पहला अध्यादेश

और अधिनियम होने के बाद स्थापित किए जाने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय का इस अधिनियम का राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना से किया जाएगा।

(2-क) जब तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पहले अध्यादेश उप धारा (2) के तहत नहीं बनाए जाते, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा कि उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से ठीक पहले लागू था, इस पर इस तरह के अनुकूलन और संशोधनों के अधीन लागू होगा था ओर संशोधन के अधीन लागू होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा दे सकता है।"

6. हम इस स्तर पर मामले के तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है। दिनांक 1.07.2003 की बैठक में शैक्षणिक परिषद द्वारा 'दूरस्थ शिक्षा' शुरू करने की अनुमति दी गई। पत्र दिनांक 17.07.2003 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति ने दूरस्थ पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाही गई। दिनांक 1.08.2003 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा एक पत्र कुलाधिपति के निजी सचिव को डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शुरू करने के लिए अध्यादेश के प्रारूप

की प्रति संलग्न कर भिजवाया गया। अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश बनाए गए। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने एक पत्र दिनांकित 27.08.2003 द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा से अनुमति चाही गई। कुलाधिपति के कार्यालय से प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, उत्तरप्रदेश राज्य को पत्र दिनांकित 20-01-2004 जारी किया गया जो कि निम्न हैः-

> **"उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 (2) के अनुसार विश्वविद्यालय के पहले अध्यादेश की अधिसूचना का प्रावधान है परन्तु महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का पहला अध्यादेश सरकार द्वारा अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अध्यादेश की प्रति (संलग्नक के साथ) उपरोक्त उद्धृत विषय पर मुझे यह बात बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि जाँच के बाद उक्त अध्यादेश को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पहले अध्यादेश में शामिल किया जा सकता है व इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।"**

7. दिनांक 24.02.2004 को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा एक पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा गया जिसमें दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश को शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। इसके उत्तर में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा एक पत्र दिनांक 25-02-2004 को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए अध्यादेशों को पहले अध्यादेश में अध्याय XXII जिसे राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना है में शामिल किया जा सकता है। पत्र दिनांकित 19.03.2004 द्वारा, राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को चलाने की मंजूरी दी। चूंकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2004 को जारी पत्र में डिग्री पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने राज्य सरकार से दूरस्थ शिक्षा माध्यम के तहत दूरस्थ कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

8. कुलाधिपति ने, जैसा कि पहले पाया गया है, दूरस्थ शिक्षा में एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांकित 12.08.2005 में यह मत दिया किः

> "उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा शुरू किया गया पूरी तरह से

अनियमित और गैर-जिम्मेदाराना काम है, जिसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर किया जाता है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इन कार्यक्रमों से संबंधित सभी गतिविधियों को तुरंत बंद कर दिया जाए। विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि जिन छात्रों ने इन कार्यक्रमों में नामांकन कराया है, उन पत्राचार पाठ्यक्रम को उन छात्रों के संदर्भ में प्रारम्भ किया जावें तथा जो छात्र इन पत्राचार पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते है उनका शुल्क वापस किया जाए। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति, कुलसचिव व वित्तीय नियंत्रक और अन्य संबंधित अधिकारी और शिक्षक को यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस तरह का अवैध कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा इसे शुरू नहीं किया जाना चाहिए।"

9. उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका सिविल विविध रिट याचिका संख्या 75902/2005 अपीलार्थी की ओर से दायर की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा आदेश दिनांकित 20-12-2005 के जरिये उक्त रिट याचिका को उक्त न्यायालय के अन्य खंड पीठ द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 47825/2005

उनवान इलाहाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट व अन्य बनाम महामहीम कुलाधिपति, एम. जे. पी. रोहिलखंड व अन्य में पारित निर्णय व आदेश पर भरोसा करते हुए खारिज किया। उक्त निर्णय में खंड पीठ द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया कि पहले अध्यादेश के अभाव में, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत अवैध थी।

10. कुलाधिपति ने अपने आदेश दिनांकित 16.04.2005 में यह गौर किया कि विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित हुए है जिनके द्वारा इस संबंध में अध्यादेश जारी हुए बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तहत पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है और कुलाधिपति ने यह गौर किया कि कई विश्वविद्यालयों ने ऐसे अध्ययन केंद्र खोले हैं जहां नियमित पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसलिए कुलाधिपति ने ऐसे पाठ्यक्रमों को रोकने का निर्देश जारी किया जो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना संचालित किये जा रहे थे और विश्वविद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर सूचना देने के लिए निर्देश दिये गये। कुलाधिपति ने आदेश दिनांकित 13.06.2005 के द्वारा यह भी निर्देश दिये कि दिनांक 16.04.2005 के आदेश में निहित विशिष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों ने न केवल पाठ्यक्रमों को जारी रखा, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों ने नए विज्ञापन भी जारी किए, जो विद्वान कुलाधिपति के अनुसार एक गंभीर मामला था और ऐसे पाठ्यक्रमों को

तुरंत बंद किया जाना चाहिए और अध्ययन केंद्रों को भी बंद किये जाने चाहिए के लिए निर्देश जारी किये गये। कुलाधिपति ने यह भी गौर किया कि ऐसे अध्ययन केंद्र विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा खोले गए थे जहाँ एक तीव्र कदम उठाना आवश्यक था।

11. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राय दी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में कुलाधिपति के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदत्त है और उनके आदेशों में उल्लिखित परिस्थितियाँ असाधारण थी व इसके लिए आह्वान लिखा गया।

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुनीता अग्रवाल द्वारा अन्य विषयो के साथ-साथ यह तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलार्थी पहले की रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उसमें दिया गया निर्णय उन पर बाध्यकारी नहीं था। यदि अपीलार्थी पक्षकार होते तो वे यह बता सकते थे कि अध्यादेश बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के अनुसरण में छात्रों को दाखिला दिया गया अगर कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई बंद करने और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए जाने व पढाई बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे उन्हें बहुत कठिनाई होगी।

13. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसे अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर खोलने की विधिक रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि ऐसे अध्ययन केंद्रों के उपयोग के वित्तीय पहलू हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 52 (3) (ग) के संदर्भ में राज्य की पूर्व मंजूरी भी लेनी आवश्यक थी।

14. विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किये कि इस न्यायालय को किसी भी स्थिति में इस मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए क्योंकि केवल 150 छात्रों ने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम का विकल्प कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में नहीं लिया है और वे केवल पहले सेमेस्टर में हैं। न्यायालय कि ध्यान इस ओर लाया गया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डिग्री पाठ्यक्रम के बीच अंतर है। हालांकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के लिए जारी किया गया पर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई।

15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 66, सूची I के तहत किया गया जिसके द्वारा वर्ष 1985 में दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नियम बनाए गए जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ऐसे अध्ययन केंद्र दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की मदद के लिए स्थापित किए गए हैं।

16. यह प्रकट होता है कि अध्ययन के पास पर्याप्त संसाधन है या नहीं इससे संतुष्ट होने के लिए इस न्यायालय द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित किया गया किः

> "3) समिति ने गौर किया कि के. आई. डी. डी. ई. कोई शैक्षणिक गतिविधि की सुविधा अपने स्तर पर प्रदान नहीं करता है और अन्य विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम या निजी संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए वेतन के आधार पर अतिथि या आमंत्रित फैकल्टी की मदद लेता है।
>
> 4) शैक्षणिक सुविधाओं और संसाधन की उपलब्धता के आधार पर समिति की यह राय है कि के. आई. डी. डी. ई. में अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधाए है। हालांकि, प्रयोगशाला सुविधाएं पाठ्यक्रम की आवश्यकताओ के अनुरूप होनी चाहिए।
>
> (7) समिति ने यह भी गौर किया है कि राज्य सरकार ने एम. जे. पी. आर. यू. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को केवल प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा तक सीमित कर दिया था व उक्त

कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकार के संबंध में विशिष्ट उल्लेख नहीं किया। विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों तक सीमित है। विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान किया जिसमें 85 अध्ययन केंद्र जिनमें से 40 केंद्र राज्य से बाहर स्थित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ माध्यम से डिग्री कार्यक्रमों की भी प्रदान किया, वह भी कुछ विषयों में जो औपचारिक विषय में परिसर में उपलब्ध नहीं हैं।"

17. यद्यपि हम अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं कि सभी उद्देश्यों और आवश्यकताओं के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यादेश बनाने के लिए कानून उस अनुसार बनाया गया था जिसके लिए नए पाठ्यक्रम खोले जा सकते थे पर हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं कि इस तरह के अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करती है। अधिनियम में संलग्न अनुसूची के संदर्भ में, विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल सात

जिलों तक सीमित है, नैनीताल उनमें से एक नहीं है। देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम से मान्यता प्राप्त है को स्वयं का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होना आवश्यक है, सिवाय केंद्रीय विश्वविद्यालयों या वैधानिक विधायी या संसदीय अधिनियम में विशिष्ट रूप से उल्लिखित।

18. विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुत तर्क कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त, क्षेत्रीय गतिविधियाँ संचालित की जानी चाहिए पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। यह कहना एक बात है कि विश्वविद्यालय डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का सहारा लेता है, लेकिन यह कहना अलग बात होगी कि अध्ययन केंद्रों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए विश्वविद्यालय की कडी पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। एक अध्ययन केंद्र में, शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, व्यावहारिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो एक पूर्ण संस्थान या कॉलेज चलाने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। हमारी राय में, इस तरह के संस्थान को, हालांकि एक अध्ययन केंद्र के रूप में नामित किया गया है, और इस तथ्य के बावजूद कि अध्ययन के पाठ्यक्रम और अन्य अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर स्थापित करने की अनुमति

नहीं दी जा सकती है। नैनीताल विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। वास्तव में यह यू. पी. राज्य में स्थित नहीं है और इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों से परे है।

19. विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यू. जी. सी. विनियम 1985 इस प्रकृति के अध्ययन केंद्रो का प्रावधान करता है को समर्थन नहीं दिया जा सकता। यू. जी. सी. विनियम एक अधीनस्थ कानून है जिसे मूल अधिनियम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि यह मूल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो अधीनस्थ कानून अधिकारातीत होता है। *[वासु देव सिंह व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2006] 11 स्केल 108 को देखे।]* यह सर्वविदित है कि एक सांविधिक प्राधिकारी को कानून की परिधि में होना चाहिए। निश्चयपूर्वक उसे क्षेत्राधिकार की सीमा के अंदर संचालित होना है। विश्वविद्यालय के इस तरह के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा अव्यवस्था पैदा हो सकती है। यदि इस तरह के दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है तो अधिनियम के प्रावधान में संशोधन किया जाना ही एकमात्र रास्ता होगा।

20. हम इस बात से बेखबर नहीं हैं कि कुछ स्थितियों में किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को सख्ती से लागू नहीं किया गया जैसा कि *सुशांत टैगोर और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, [2005] 3*

एस. सी. सी. 16 के मामले में किया गया पर उक्त मामले में न्यायालय को पूर्णतया भिन्न परिस्थिति देखनी थी।

21. इस प्रकार, हमारी राय में सुश्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

22. अपीलार्थी के अध्ययन केन्द्र नैनीताल में स्थित है जो कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। रिट याचिका में परमादेश की रिट या अन्य रिट जारी नहीं की जा सकती।

23. उपरोक्त उल्लिखित कारणों से इस अपील में कोई विशेषता नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। कोई हर्जा खर्चा नहीं।

एस.के.एस.

याचिका खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी सलोनी माथुर (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।